कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला

आदेश कमांक 12/91-2016 Admn (4) **दिनांक, पंचकूला** 19/06/2024

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग से प्राप्त आदेश कमांक 2/7/1996–2 गृह (गोपनीय) दिनांक 06.06.2024, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करने से सम्बन्धित है, की प्रति निम्नलिखत को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव।
2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. निदेशालय सैकेण्डरी शिक्षा के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
5. रजिस्ट्रार शिक्षा (सैकेण्डरी)।
6. अधीक्षक तालमेल शाखा (सैकेण्डरी)।
7. निजि सहायक /निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
8. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक प्रशासन (एम0एस0एस0)।
9. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक प्रशासन।
10. निजि सहायक/ संयुक्त निदेशक सैकेण्डरी ।
11. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा शैक्षणिक।
12. सभी सहायक प्रशासन शाखा।
13. मुख्यालय बैवसाईट पर डालने के लिए।

18/6/24

अधीक्षक प्रशासन
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

D:\SOHAN LAL, RECORD\ADMN 4\ADMN 4\ORDER (HINDI).DOC

हरियाणा सरकार
गृह विभाग
आदेश

क्रमांक 2/7/1996–2 गृह (गोपनीय) दिनांक, चण्डीगढ़: 06.06.2024

चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/06/2024 से 11/09/2024 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

(टी.वी.एस.एन. प्रसाद)
दिनांक, चण्डीगढ़: 05.06.2024
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/7/1996–2 गृह (गोपनीय) दिनांक, चण्डीगढ़: 06.06.2024

एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एंव लेखन साम्रगी विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इन आदेशों को राज्य के राजपत्रित गजट में छपवा दिया जाए तथा इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भेजी जांए।

अधीक्षक, गृह (गोपनीय)
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,,
गृह विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/7/1996–2 गृह (गोपनीय) दिनांक, चण्डीगढ़: 06.06.2024

एक प्रति हरियाणा के सभी जिलाधीशों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। कृपया इसकी पावती भेजें।

अधीक्षक, गृह, (गोपनीय)
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/7/1996–2 गृह (गोपनीय) दिनांक, चण्डीगढ़: 06.06.2024

एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:–

1 सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ।
2 आयुक्त, अम्बाला/हिसार/रोहतक/गुरूग्राम/करनाल/फरीदाबाद मण्डल।
3 विधि परामर्शी एंव सचिव, हरियाणा सरकार, विधायी विभाग।
4 पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पचंकुला।
5 महानिदेशक, जेल हरियाणा, सैक्टर–14, पंचकूला।
6 पुलिस महानिरीक्षक, हिसार/अम्बाला/रोहतक/करनाल/दक्षिण रेंज, रिवाड़ी।
7 पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा।
8 राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षक।

अधीक्षक, गृह (गोपनीय)
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,,
गृह विभाग।